



## राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम

### योजना और पाठ्यक्रम

#### ❖ राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा पात्रता मानदंड:

- आवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से **LL.B** पूरा करना होगा
- अंतिम सत्र के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं
- आयु सीमा-(21-40) वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्राप्त होगी।

#### ❖ चयन प्रक्रिया:

- प्रारंभिक परीक्षा
- मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा)
- साक्षात्कार

#### प्रारंभिक परीक्षा

- परीक्षा 100 अंकों/प्रश्नों की होगी।
- परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी।
- परीक्षा के लिए समय अवधि -02 घंटे।
- कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

**Note-** प्रारंभिक परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जिसमें विधि प्रश्न पत्र-1 और II के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को 70% वेटेज दिया जाएगा, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता का परीक्षण करने के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन में नहीं गिना जाएगा।

❖ विधि:-

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973,
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872,
- भारतीय दंड संहिता, 1860,
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908,
- भारत का संविधान,
- भारतीय संविदा अधिनियम 1872,
- परिसीमा अधिनियम, 1963,
- विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963,
- संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882,
- मूर्तियों की व्याख्या,
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015,
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अध्याय XVII),
- अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958,
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005,
- राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001,
- आदेश/निर्णय लेखन

❖ हिंदी दक्षता :

- शब्द रचना: संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ।
- शब्द प्रकार: (क) तत्सम, अर्ध-तत्सम!, तत्भव, देशज, विदेशी (ख) संज्ञा,सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक निपात).
- शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युगमो का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक,उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली,
- शब्द शुद्धि ।
- व्याकरणिक कोटियाँ: परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति (mood), पक्ष (aspect), वाच्य (voice) वाक्य रचना ।
- वाक्य शुद्धि ।
- विराम चिन्हों का प्रयोग।
- मुहावरे/ लोकोक्तियाँ।
- पारिभाषिक शब्दावली: प्रशासनिक, विधिक (विशेषतः)

❖ **ENGLISH PROFICIENCY:**

- Tenses
- Articles and Determiners
- Phrasal Verbs and Idioms
- Active & Passive Voice
- Co-ordination &, Subordination
- Direct and Indirect Speech
- Modals expressing various concepts - (Obligation, Request, Permission. Prohibition. Intention. Condition, Probability, Possibility, Purpose. Reason. Companions, Contrast)
- Antonyms and Synonyms.

**मुख्य परीक्षा**

❖ **मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे -**

- मुख्य परीक्षा का प्रकार वर्णनात्मक होगा।

संख्या	विषय का नाम	प्रश्नपत्र	अंक	समय
1	विधि	I →	100	3 घंटे
2	विधि	II →	100	3 घंटे
3	भाषा	I- हिंदी निबंध →	50	2 घंटे
		II-अंग्रेजी निबंध →	50	2 घंटे
4	साक्षात्कार	----- →	35	----

❖ **प्रश्न पत्र - विधि -I**

- सिविल प्रक्रिया संहिता (1908)
- भारतीय संविदा अधिनियम (1872)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872)
- भारत का संविधान,
- विशिष्ट राहत अधिनियम (1963)
- परिसीमा अधिनियम (1963)
- विधि की व्याख्या

- संपत्ति अन्तरण अधिनियम (1882)
- आदेश / निर्णय लेखन
- राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम (2001)

❖ **प्रश्न पत्र - विधि -II**

- दंड प्रक्रिया संहिता (1973)
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, (1958)
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (2015)
- भारतीय दंड संहिता (1860)
- परक्राम्य लिखत अधिनियम (1881)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872)
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)
- आरोप का निर्धारण/निर्णय लेखन

❖ **प्रश्न पत्र - भाषा -III**

❖ **प्रश्न पत्र -भाषा- I**

(हिंदी निबंध - हिंदी भाषा में निबंध लेखन।)

❖ **प्रश्न पत्र -भाषा --II**

(अंग्रेजी निबंध - अंग्रेजी भाषा में निबंध लेखन।)

**मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार)**

- ❖ लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) हेतु 35 अंक होंगे।